सत्यमेव जयते

संख्या- E4330 /जी0एस0(शिक्षा)/A4-135-1/2017

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
न्यू होप टॉउन (शीशमबाड़ा), सेलाकुई, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 2 अगस्त, 2023

विषय : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों की अनापत्ति/सम्बद्धता विषयक निर्धारित समय-सारणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-184/एच.एन.बी.यू.एम.यू./कु.स./2022-23, दिनांक 17.05.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि नवीन कॉलेजों द्वारा शासन से शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु प्राप्त अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया है। सत्र 2023-24 हेतु नवीन कॉलेजों को अब सहमति/सम्बद्धता पत्र दिया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि अल्प समयावधि में नवीन कॉलेजों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करवाते हुए काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करवाना सम्भव नहीं हो पायेगा। पत्र में यह भी सूचित किया है कि समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा दिनांक 10 एवं 11 जून, 2023 को निर्धारित है। इसका परीक्षाफल घोषित होने पर शीघ्र ही काउन्सिलिंग की प्रक्रिया तथा प्रवेश प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

उपरोक्त के क्रम में जैसा कि आप विदित हैं कि इस सचिवालय के पत्र संख्या-1739, दिनांक 18.08.2022 द्वारा सम्बद्ध संस्थानों की सम्बद्धता हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 एवं अग्रेत्तर सत्रों हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार संस्थान/महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि 31 अक्टूबर नियत की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि नवीन कॉलेजों द्वारा शासन से शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु प्राप्त अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय से सत्र 2023-24 के लिए सहमति/सम्बद्धता पत्र दिये जाने हेतु आवेदन अत्यधिक विलम्ब के साथ किया गया है, प्रतीत होता है, जिस कारण अल्प समयावधि में नवीन कॉलेजों की सम्बद्धता संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण कराया जाना तत्पश्चात काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवीन कॉलेजों की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय सम्बद्धता मापदण्डों के अनुसार सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूर्ण कराये और मा0 कुलाधिपति कार्यालय से नई सम्बद्धता के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही छात्र-छात्राओं के प्रवेश की अनुमति दी जाये।

उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Raman

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति

संख्या- (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-135-1/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

Scanned with OKEN Scanner